भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1023

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना

1023. **श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**
डॉ. नामदेव किरसान:
डॉ. अमर सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में भारतीय नागरिकों, छात्रों और श्रमिकों पर हमलों, उत्पीड़न, हिरासत या शोषण से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि हुई है;
ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं का देश-वार ब्यौरा और भारतीय मिशनों द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने दुनिया भर के संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों के हितों, सुरक्षा और समय पर निकासी को सुरक्षित करने के लिए हाल ही में कोई राजनयिक पहल की है और यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान, कांसुलर सहायता और 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता-प्राप्त तथा संकटमुक्त किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या सहित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार अतिरिक्त मिशनों, डिजिटल कांसुलर सेवाओं और मित्र देशों के साथ समन्वय के माध्यम से भारत के संकटकालीन सहायता तंत्र को और सुदृढ़ करने का विचार रखती है; और
(ङ) अंतर्राष्ट्रीय आपात-स्थितियों के दौरान विदेशों में रहने वाले भारतीयों से तेजी से संपर्क और सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान छात्रों और श्रमिकों सहित भारतीय नागरिकों पर हमलों, उत्पीड़न, हिरासत या शोषण से संबंधित घटनाओं का देशवार विवरण अनुबंध- I में दिया गया है। सभी मामलों में, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा तुरंत एवं उचित सहायता प्रदान की गई है और मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों की उचित जांच की जाए और उनके घरेलू कानूनों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। इन मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान संबंधित देशों के साथ राजनीतिक और आधिकारिक स्तर पर और उचित रूप से उच्चतम स्तर सहित संस्थागत संवाद तंत्र के माध्यम से भी उठाया जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और संघर्ष क्षेत्रों से फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विभिन्न अभियान चला रही है। पिछले 2 वर्षों में भारत के निकासी/अभियानों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

सरकार एक सुव्यवस्थित, बहु-स्तरीय आपदा सहायता तंत्र का उपयोग करती है जिसमें भारतीय नागरिकों को सावधान करने के लिए परामर्शी जारी करना, भारतीय नागरिकों को भारतीय मिशनों/केंद्रों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए संचार तंत्र को सक्रिय करना और आवश्यकता पड़ने पर निकासी अभियान शुरू करना शामिल है। सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक माध्यमों से मेजबान सरकारों में अपने समकक्षों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है।

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली संकट स्थितियों का शीघ्रता से उत्तर देने के लिए, मंत्रालय का 'त्वरित सहायता प्रकोष्ठ (आरआरसी)' निकासी कार्यों के निष्पादन के लिए

सभी एजेंसियों, सेवाओं, सशस्त्र बलों और मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है। मंत्रालय ने निकासी कार्यों की योजना और निष्पादन के दौरान उपयोग के लिए डिजिटल आपातकालीन सहायता समाधान तैयार किया है और उसका अंतिम परीक्षण कर रहा है।

अनुबंध- I

पिछले 3 वर्षों में विदेशों में भारतीय नागरिकों, छात्रों और कामगारों पर हमले, उत्पीड़न, हिरासत में लेने और शोषण से जुड़ी घटनाओं की संख्या

देश	घटनाओं की संख्या/भारतीय नागरिक
बहरीन	1659 (श्रम शिकायतें)
कंबोडिया	2489 (स्कैम सेंटर से बचाए गए भारतीय नागरिक)
कनाडा	16
क्रोएशिया	05 (कामगारों पर हमला)
डोमिनिक गणराज्य	14 (हिरासत में लिया गया)
एस्वातिनी	02 (4 भारतीयों को हिरासत में लिया गया)
जर्मनी	133 (119 छात्रों के साथ आवास घोटाला सहित)
गुयाना	01 (37 कामगारों के समूह की शिकायत)
इराक	01 (कामगार की शिकायत)
आयरलैंड	30 (हमले)
इज़राइल	01 (हमला)
इटली	02 (हमला और शोषण)
कुवैत	10111 (श्रम, लड़ाई-झगड़े, आपातकालीन चिकित्सा मामलों में मदद और प्रत्यावर्तन)
लाओ पीडीआर	2318 (गोल्डन ट्राएंगल स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन से बचाए गए भारतीय)
लातविया	04 (हमले)
मलेशिया	12733 (श्रम शिकायतें, हिरासत और निर्वासन)

मालदीव	**07**
माली	**05** **(13 भारतीय नागरिकों का अपहरण)**
म्यांमार	**2078** **(साइबर स्कैम सेंटर से बचाया गया)**
नाइजर	**02** **(8 भारतीयों के अपहरण के 2 मामले)**
फिलीपींस	**109** **(हिरासत में लिया गया)**
रूस	**84** **(हिरासत के मामले और छात्रों पर हमले)**
सऊदी अरब	**2000** **(हिरासत में लिया गया)**
सर्बिया	**20** **(हिरासत में सहायता)**
सेशेल्स	**147** **(श्रम शिकायत जिसमें 01 उत्पीड़न मामला शामिल है)**
स्लोवाक गणराज्य	**46**
स्लोवेनिया	**03** **(हमले)**
दक्षिण अफ्रीका	**02** **(2 भारतीयों का निर्वासन)**
श्रीलंका	**555 (वीज़ा उल्लंघन और शोषण)**
सीरिया	**07** **(संकट में भारतीय)**
थाईलैंड	**1964** **(साइबर स्कैम सेंटर से बचाया गया)**
तुर्किए	**01** **(उत्पीड़न)**
यूक्रेन	**02** **(छात्र शिकायत)**
यूएसए	**27** **(हमले)**

अनुबंध- II

पिछले 2 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से निकासी/ऑपरेशन की सूचना

वर्ष	ऑपरेशन का देश और नाम	निकाले गए भारतीय नागरिकों की संख्या
2024	हैती ऑपरेशन इंद्रावती	17
2024-25	सीरिया	86
2022-25	इराक	135
2024	कुवैत (मृत भारतीय नागरिकों की विशेष मानवीय एयरलिफ्ट)	45 (पार्थिव शरीर)
2025	ईरान ऑपरेशन सिंधु	3597 (14 ओसीआई कार्ड धारक और 14 विदेशी नागरिकों को छोड़कर)
2025	इज़राइल ऑपरेशन सिंधु	818
2025-26	म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर साइबर-स्कैम सेंटर में काम करने के लिए मजबूर भारतीय नागरिकों का प्रत्यावर्तन	1741
2025	श्रीलंका एचएडीआर ऑपरेशन सागर बंधु	2500 (424 भारतीयों को विशेष आईएएफ विमानों से नि:शुल्क निकाला गया और 2076 भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ानों से वापस लौटने में मदद की गई।
2026	ईरान से आर्मेनिया (हाल के पश्चिमी एशिया संकट के दौरान ईरान से आर्मेनिया के मार्ग से भारतीय नागरिकों की सीमा पार आवाजाही, उपलब्ध उड़ानों से वापसी)	2557
